



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 155]
No. 155]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 10, 2006/आश्विन 18, 1928
NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 10, 2006/ASVINA 18, 1928

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर, 2006

सं. 5-4/2000-ए एण्ड पी (बाल्यू.-II).—भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 के साथ पठित धारा 36 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) एतद्वारा दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) विनियम, 2001 (2001 का 2) में निम्नलिखित संशोधन करता है :—

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :—

- ये विनियम “ भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति) (छठा संशोधन) विनियम, 2006 (2006 का 12)” कहे जाएंगे;
- ये विनियम सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति) विनियम, 2001 (2001 का 2) की अनुसूची-I में सचिव की नियुक्ति से संबंधित ‘प्रतिनियुक्ति के लिए अर्हता और अनुभव’ कॉलम के अन्तर्गत मौजूदा प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी:

पद का नाम	प्रतिनियुक्ति के लिए अर्हता/अनुभव
सचिव	केन्द्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारी जो नियमित आधार पर समान पद पर हों तथा आयु 58 वर्ष से अधिक न हो। निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक की पात्रता रखने वाले अधिकारी को प्राथमिकता दी जाएगी :— (i) वह वरिष्ठ प्रबंधकीय पद पर हो; (ii) उसके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से टेलीकॉम इंजीनियरी में स्नातक की डिग्री या उसके समकक्ष हो; (iii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक तथा टेलीकॉम इंजीनियरी में स्नातक की डिग्री या उसके समकक्ष हो; (iv) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से एमबीए डिग्री या उसके समकक्ष हो।

राजन सिंगला, सलाहकार (प्रशासन एवं कार्मिक)

[विज्ञापन-III/IV/असाधारण/142/06]

TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th October, 2006

No. 5-4/2000-A & P (Vol. II).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 36 read with Section 10 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997, the Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) hereby further amends the Telecom Regulatory Authority of India (Officers and Staff Appointment) Regulation, 2001 (2 of 2001), as follows :—

1. Short title and commencement :—

- (i) These Regulations shall be called “The Telecom Regulatory Authority of India (Officers and Staff Appointment) (6th Amendment) Regulations 2006 (12 of 2006)”;
- (ii) These shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In Schedule I of the Telecom Regulatory Authority of India (Officers and Staff Appointment) Regulation, 2001 (2 of 2001), the following entries shall substitute the existing entries appearing under the column ‘Qualification and Experience for deputation’, relating to the appointment of Secretary, namely :

Name of the Post	Qualification/experience for deputation
Secretary	<p>Officers of the Central/State Govt./PSUs holding equivalent post on regular basis and not exceeding 58 years of age.</p> <p>Preference will be given to those holding any or a combination of the following :—</p> <ol style="list-style-type: none"> (i) Senior managerial position; (ii) Bachelors Degree in Telecommunication Engineering from a recognised University or equivalent; (iii) Bachelors Degree in Electronics and Telecommunication Engineering from a recognised University or equivalent; (iv) MBA Degree from a Recognised University or equivalent.

RAJAN SINGLA, Advisor (A & P)

[ADVT-III/IV/Exty/142/06]